तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट रजलावता में पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। पक्षकारान को केम्प कोर्ट में आवाजें लगवाई गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रत्यार्थीगण सं. 1 लगायत 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रत्यार्थीगण सं. 1 लगायत 4 जबरन ताकत के बल पर अपनी हिस्से की भूमि से अधिक बढ़कर जबरन प्रार्थीगण की भूमि व कुएं पर कब्जा न करें। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम रजलावता की कृषि भूमि खसरा सं. 1050, 1053, 1077, 1248, 1608/1073 व चाह सं. 1054 के सम्बन्ध में प्रत्यार्थीगण सं. 1 लगायत 4 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार अपनी हिस्से की भूमि से अधिक बढ़कर प्रार्थीगण की भूमि पर व कुए पर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल न करें, प्रार्थीगण के फसल बोने व काटने में व कुए से पानी पिलाने में बाधा कारित नहीं करें, न तो स्वयं ऐसा करें और न ही अन्य से ऐसा करवावें। [illegible] ताफैसला बाद फैसलशुमार होकर बाद तकमील मूल के साथ संलग्न रहे। निर्णय सुनाया गया। Sd/-

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बैजा [illegible]